

ORIENTAL	FROM: PENSION DEPARTMENT HEAD OFFICE NEW DELHI.	TO: PENSION CELL ALL RO'S/ OSTC/ HO(ADMN.)	DATE: 10-02-20
----------	---	--	-------------------

DEPTT. : PENSION

REF.: HO/PEN/01/2020/CR- 8326

Re.: DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS W.E.F. 01/02/2020 TO 31/07/2020

As per the provisions of the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, the Dearness Relief is payable to the eligible Pensioners at All India Average Consumer Price Index of 7479 w.e.f. 1st day of Feb 2020. Consequently, the increased Dearness Relief payable to the Pensioners from 01/02/2020 shall be as under:

- A) (i) Pensioners who have retired on or before 31/07/1992 as Class III & IV employees and the pensioners who have retired on or before 31/03/1993 as Class I & II employees; and
(ii) Pensioners who have retired as Class III & IV during the period between 01/08/1992 to 31/10/1993 and Class I & II employees who have retired during the period between 01/04/1993 & 31/10/1993 and if they have exercised the option not to be governed by General Insurance (Employees') Pension (Third Amendment) Scheme, 1999.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 600 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
Upto	1,250.00	1719	1151.73% of Basic Pension	
From	1,251.00 to 2,000.00	1719	14396.63 +	945.45% of Basic Pension in excess of 1,250.00
From	2,001.00 to 2,130.00	1719	21487.50 +	567.27% of Basic Pension in excess of 2,000.00
Above	2,130.00	1719	22224.95 +	292.23% of Basic Pension in excess of 2,130.00

- B) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1148 points of index or who have retired during the period from 01/11/1993 to 31/07/1997.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 1148 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
Upto	2,400.00	1582	553.70% of Basic Pension	
From	2,401.00 to 3850.00	1582	13288.80 +	458.78% of Basic Pension in excess of 2,400.00
From	3,851.00 to 4100.00	1582	19941.11 +	268.94% of Basic Pension in excess of 3,850.00
Above	4,100.00	1582	20613.46 +	142.38% of Basic Pension in excess of 4,100.00

- C) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1740 points index or who have retired on or after 01/08/1997.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 1740 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
Full Basic Pension		1434	0.23% of Basic Pension	

- D) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2328 points index or who have retired on or after 01/08/2002.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 2328 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
Full Basic Pension		1287	0.18% of Basic Pension	

- E) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2944 points index or who have retired on or after 01/08/2007.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 2944 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
Full Basic Pension		1133	0.15% of Basic Pension	

contd....

AG

W

F) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 4709 points index or who have retired on or after 01/08/2012.


Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 4709 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	692	0.10% of Basic Pension

G) Dearness relief payable on Ex-gratia to surviving pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2020
Dearness Relief Payable on Ex-gratia to eligible Pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2020 shall be ` 4031/-. You are advised to release an amount of ` 4381/- (Ex-Gratia ` 350/- + D.A. ` 4031/- pm) to all eligible Pre-1986 retirees from 01/02/2020 to 31/07/2020 payable on or after the 1st of the month following the month in which it becomes due.
Please acknowledge

Source: GIC Re Cir. HRD/102/302/2020 dated 05.02.2020

(HINDI VERSION FOLLOWS)

Dy. Gen Manager



विभाग: पेंशन

संदर्भ: प्र. का. /पेंशन/01/2020/सीआर- 8326

विषय: 01/02/2020 से 31/07/2020 तक पेंशन भोगियों को देय मँहगाई राहत ।

साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार 01.02.2020 से अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7479 के आधार पर पात्र पेंशनभोगियों को मँहगाई राहत देय है। परिणामस्वरूप बड़ी हुई मँहगाई राहत पेंशनभोगियों को दिनांक 01/02/2020 से निम्न प्रकार से देय होगी:

- क. (1) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/07/1992 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/03/1993 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी तथा
(2) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/08/1992 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/04/1993 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और यदि उन्होंने साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (तृतीय संशोधन) योजना 1999 द्वारा अधिशासित न होने का विकल्प चुना है।

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 600 से अधिक)	मँहगाई राहत दर
` 1250/- तक	1719 ✓	मूल पेंशन का 1151.73%
` 1251/- से ` 2000/- तक	1719	` 14396.63 + ` 1250.00 से अधिक की मूल पेंशन का 945.45%
` 2001/- से ` 2130/- तक	1719	` 21487.50 + ` 2000.00 से अधिक की मूल पेंशन का 567.27%
` 2130/- से अधिक	1719	` 22224.95 + ` 2130 से अधिक की मूल पेंशन का 292.23%

- ख. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 1148 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/11/1993 से 31/07/1997 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1148 से अधिक)	मँहगाई राहत दर
` 2400/- तक	1582 ✓	मूल पेंशन का 553.70%
` 2401/- से ` 3850/- तक	1582	` 13288.80 + ` 2400 से अधिक की मूल पेंशन का 458.78%
` 3851/- से ` 4100/- तक	1582	` 19941.11 + ` 3850 से अधिक की मूल पेंशन का 268.94%
` 4100/- से अधिक	1582	` 20613.46 + ` 4100 से अधिक की मूल पेंशन का 142.38%

- ग. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 1740 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/1997 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1740 से अधिक)	मँहगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	1434 ✓	मूल पेंशन का 0.23% ✓

- घ. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 2328 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2002 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 2328 से अधिक)	मँहगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	1287 ✓	मूल पेंशन का 0.18% ✓

- ड. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 2944 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 2944 से अधिक)	मंहगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	1133	मूल पेंशन का 0.15%

च. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 4709 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 4709 से अधिक)	मंहगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	692	मूल पेंशन का 0.10%

च. वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि पर देय मंहगाई राहत दिनांक 01/02/2020 से प्रभावी : 01/02/2020 से वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि पर देय मंहगाई राहत ' 4031/- होगी। निर्देश है कि वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को ' 4381/- (' 350/- अनुग्रह राशि + ' 4031/- प्रति माह मंहगाई राहत) की दर से 01/02/2020 से 31/07/2020 तक भुगतान करें जो राशि देय होने के अगले माह की पहली तारीख या उसके पश्चात देय होगी।

कृपया पावती दें।



उप महाप्रबंधक

दीपिका अग्रवाल जी

स्रोत : परिपत्र: एचरडी/102/302/2020 दिनांक 05.02.2020